

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1457 / 2012 / जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत-तृतीय, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स रेजीनोवा केमी लिमिटेड,

एफ-77-ए, रोड़ नं० 5, वी.के.आई. एरिया, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वैभव कासलीवाल,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. कुमार, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.


दिनांक : 23 / 6 / 2014


निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 75/अपील्स-III/11-12/ई में पारित किये गये आदेश दिनांक 02.01.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी के वेट अधिनियम की धारा 24, 55 व 58 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 28.02.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 का नियमित कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 24, 55 व 58 के तहत दिनांक 28.2.2011 को पारित किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के प्रस्तुत बिक्री विवरण प्रपत्रों में Epoxide, Amin Function Compound, Silicon, Acrylic Polymers, Polymers of Vinyl chloride, Synthetic Rubber का निर्माण करना तथा इन उत्पादों को एक्साईज टैरिफ के एच.एस.एन. कोडिंग नं. क्रमशः 2910, 2921, 3910, 3904 तथा 4002 होना बताते हुए वेट अधिनियम की अनुसूची-IV अनुसार 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए विक्रय किया जाना पाया गया। जबकि प्रत्यर्थी द्वारा नमूने के तौर पर प्रस्तुत किये गये विक्रय बिलों में Bondcrete, Bondinsul, Bondset, Bondtite, Crackbond, Multifix Plution, Resibond, Bondfix, Resimet, Vitrores, Solvobond, Bondgrip, Resigrip का

लगातार.....2






विक्रय किया जाना पाया गया। उक्त प्रोडक्ट वेट अधिनियम की अनुसूची-I से IV में अंकित नहीं होने से, उक्त माल पर अनुसूची-V अनुसार 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता मानते हुए तदनुसार 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर व ब्याज के आरोपण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुए, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 28.2.2011 पारित करते हुए, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में विवादित माल के कुल विक्रय रूपये 3,93,46,630/- पर 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर रूपये 33,34,464/- एवं धारा 55 के तहत ब्याज रूपये 9,69,894/- का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.01.2012 से स्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा घोषित 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य बिक्रीत माल वेट अधिनियम की अनुसूची-I से IV से आच्छादित नहीं है बल्कि प्रत्यर्थी द्वारा बिक्रीत माल “सिंथेटिक एडेहेसिव”(Synthetic Adhesive) की श्रेणी में आता है। अतः विवादित माल पर अनुसूची-V अनुसार 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता बनती है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश को अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि आलौच्य अवधि में व्यवहारी के कानपुर (उ.प्र.) मुख्यालय पर “केमिकल्स” एवम् “सिंथेटिक एडेहेसिव” (Synthetic Adhesive) दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का विनिर्माण किया जाकर स्टॉक ट्रांसफर पर, माल राज्य में विक्रयार्थ भेजा जाता है, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त कर, इसे अनुसूची-IV के अनुसार, सद्भाविक रूप से अधिसूचित कर दरों पर राज्य में विक्रय किया जाकर, इस पर देय कर वसूल किया जाता है एवं तदनुसार संग्रहीत कर को नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जाता है। इस संबंध में प्रस्तुत विवरणियों में घोषित विक्रय की ओर

लगातार.....3






ध्यानाकर्षित किया जाकर, कथन किया कि जिन वस्तुओं की बिक्री पर 4 प्रतिशत की दर से वसूल कर जमा कराया गया है, वे 'केमिकल्स' ही हैं, तथा उक्त अनुसूची-IV के भाग-'ब' के इन्द्राजात संख्या 89, 100, 146, 147, 148, 151, 152, 162 व इन्द्राज संख्या-268, जिसमें विशिष्ट रूप से अंकित नहीं किये गये 'केमिकल्स', जो अनुसूची-IV के पार्ट 'ब' में पृथक से अंकित नहीं है, को भी उक्त इन्द्राज के आलोक में, "केमिकल्स" में ही शामिल किया गया है एवं आलोच्य अवधि में उक्त इन्द्राज संख्या-268 को संशोधित नहीं किया गया है। अतः विवादित निर्धारण आदेश को आधारहीन, मनमाना एवं मनमर्जी से निष्कर्ष अवधारित कर, पारित करना प्रकट कर, पारित निर्धारण आदेश को विधिअनुकूल नहीं होने का तर्क दिया गया। इस संबंध में केन्द्रीय आबकारी टैरिफ अधिनियम, 1985 में विहित टैरिफ कोड्स व अधिनियम की अनुसूची-IV के इन्द्राजात में अंकित वस्तुयें समान प्रकृति की होना प्रकट कर, कथन किया कि इस संबंध में केन्द्रीय आबकारी टैरिफ अधिनियम, 1985 के तहत उपर्युक्त वर्णित वस्तुओं के संबंध में किये गया वर्गीकरण माने जाने की विधि माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा स्वयं प्रत्यर्थी की आलोच्य अवधि वर्ष 2006-07 व 2007-08 से सम्बन्धित प्रकरणों में प्रस्तुत अपील संख्या 840/2010 व 841/2010/जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2012 का हवाला देते हुए राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी स्वयं के कर निर्धारण वर्ष 2006-07 व 2007-08 से सम्बन्धित प्रकरणों में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की समन्वयपीठ (खण्डपीठ) ने अपील संख्या 840/2010 व 841/2010/जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2012 में विवादित उत्पादों के सम्बन्ध में विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों एवं परिभाषाओं की विस्तृत विवेचना करते हुए विवाद का निष्पादन करते हुए निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है।

"19. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, इस संबंध में रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि अपीलार्थी प्रत्याक्षेपी निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि के लिये पारित निर्धारण आदेशों में बिक्रीत वस्तुओं के संबंध में केवल प्रत्यर्थी प्रत्याक्षेपकर्ता व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तुयें यथा:- क्रेक बांड पार्ट-ए, क्रेक बांड-पार्ट-बी बॉनटाईट, रेजिन,

लगातार.....4





बॉनटाईट हार्डनर, बॉडसेट आदि के संबंध में इन्हें "सिन्थेटिक एडेहेसिव" होने के संबंध में विशिष्ट निष्कर्ष अवधारित किये गये है परन्तु इस संबंध में 4 प्रतिशत की दर से घोषित बिक्रीत शेष समस्त वस्तुओं, जिनको प्रत्यर्थी प्रत्याक्षेपकर्ता व्यवहारी द्वारा 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना घोषित की गयी है, में से कौन सी विशिष्ट वस्तुयें "सिन्थेटिक एडेहेसिव" की श्रेणी में आती है, निर्धारण आदेशों में अंकित नहीं किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अंतर कर 8.5 प्रतिशत की दर से आरोपण से पूर्व जारी नोटिसेज में केवल यह अंकित किया गया है कि प्रत्यर्थी प्रत्याक्षेपकर्ता व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, सेम्पल्स, बोशर्स के अवलोकन से पाया गया है कि उसके द्वारा "सिन्थेटिक एडेहेसिव" का विक्रय भिन्न-भिन्न कर दरों पर किया जा रहा है। जारी नोटिसेज में कहीं भी विशेष वस्तु/वस्तुओं का कोई उल्लेख नहीं है कि प्रत्यर्थी प्रत्याक्षेपकर्ता व्यवहारी द्वारा बिक्रीत कौन-कौन सी वस्तुयें, "सिन्थेटिक एडेहेसिव" (Synthetic Adhesive) की श्रेणी में आती है ? न ही प्रत्येक वस्तु की प्रकृति का जिसे "सिन्थेटिक एडेहेसिव" (Synthetic Adhesive) की श्रेणी में शामिल कर, अंतर कर आरोपित किया गया है, के संबंध में निर्धारण आदेशों में विस्तृत रूप से निष्कर्ष अवधारित कर, अंकित ही किया गया है। इस संबंध में विवादित अपीलीय आदेश में बिक्रीत वस्तुओं का विस्तृत विवरण, सुनवायी के दौरान, प्रत्यर्थी प्रत्याक्षेपकर्ता व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रत्येक वस्तु जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कर संग्रहीत कर घोषित किया गया है, पर विचार कर, अपीलीय अधिकारी द्वारा इस संबंध में निष्कर्ष अवधारित कर, अपीलीय आदेश दिनांक 10.11.2009 को पारित किया गया है जिसमें कायम की गयी अंतर कर की मांग राशियों को अपास्त कर, यह अवधारित किया गया है कि प्रत्यर्थी प्रत्याक्षेपकर्ता व्यवहारी ने इस संबंध में अधिसूचित कर दरों के अनुसार ही कर दायित्व का निर्वहन किया है एवम् किसी प्रकार के कर अपवंचन पाये जाने के अभाव में, अधिनियम की धारा 24 के तहत नियमित वृत्त के निर्धारण अधिकारी को प्रकरणों को पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। इस संबंध में पुनः उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण निर्धारण अवधि निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिये नियमित वृत्त के निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश दिनांक 28.02.2011 को पारित किया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को भी स्वीकार किया जाकर, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स-तृतीय) जयपुर द्वारा जरिये आदेश दिनांक 02.01.2012 के निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम "सिन्थेटिक एडेहेसिव" (Synthetic Adhesive) के बिन्दु पर कायम की गयी मांग राशियों को अपास्त कर दिया है। इस संबंध में रिकॉर्ड के अनुशीलन से यह भी विदित होता है कि प्रत्यर्थी प्रत्याक्षेपकर्ता व्यवहारी द्वारा बिक्रीत

लगातार.....5

माल, जो 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना घोषित किया है, के संबंध में अपीलार्थी प्रत्याक्षेपी निर्धारण अधिकारी द्वारा भी सामान्य बोलचाल अथवा वाणिज्यिक जगत में 4 प्रतिशत की दर से विक्रय किये गये माल के संबंध में अन्यथा कोई साक्ष्य/प्रमाण लेकर रिकॉर्ड पर नहीं रखे गये हैं। इस संबंध में सर्वेक्षण दिनांक 05.12.2008 के लिये संधारित रिकॉर्ड पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि सर्वेक्षण की संधारित आदेशिका दिनांक 05.12.2008 क्रेक बॉण्ड इपोकसी एडेहेसिव (Crack bond epoxy adhesive) के संबंध में लिये गये पैकिंग लेबल्स के अनुसार भी इसके पार्ट-ए, को "रेजिन" तथा पार्ट-बी को "हार्डनर" होना प्रकट कर, आदेशिका में यह अंकित किया गया है कि इपोकसी एडेहेसिव, "हार्डनर" व "रेजिन" को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर ही बनता है। तत्पश्चात्, काम में लिया जाता है। स्वतंत्र रूप से "हार्डनर" व "रेजिन" का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इससे यह विदित होता है कि सर्वेक्षण अधिकारी स्वयम् यह मानते हैं कि उक्त उत्पादों का अकेले उपयोग "सिन्थेटिक एडेहेसिव" के रूप में किये जाने के काबिल नहीं है। इस संबंध में अपीलार्थी प्रत्याक्षेपी निर्धारण अधिकारी दिनांक 05.12.2008 को की गयी जांच के दौरान जो जांच रिपोर्ट तैयार की गयी है, उसमें भी ऊपर वर्णित इस तथ्य का विशिष्ट रूप से पुनः अंकन किया गया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.12.2008 की जांच रिपोर्ट पर पीयूष कुमार, लेखाधिकारी के तो हस्ताक्षर हैं परन्तु किसी भी जांच अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित होना नहीं पाये गये हैं। जहां तक इस संबंध में अतिरिक्त आयुक्त (वैट एण्ड आई.टी.) द्वारा किये गये अवधारण आदेश दिनांक 10.12.2009 का प्रश्न है अतिरिक्त आयुक्त ने एरलडाईट (इपोकसी रेजिन), पॉलीमाईड्स इन प्राईमरी फॉर्म्स, बॉनटाईट, पार्ट-ए (इपोकसाईड्स) व पार्ट-बी (एमीन फंक्शन कम्पाउण्ड) को माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में, "केमिकल्स" होना अवधारित कर, इन्हें क्रमशः इन्द्राज संख्या- 148, 150, 89, 100, को विशिष्ट रूप से आच्छादित होना अवधारित कर, इन्हें अनुसूची-V के भाग-ब के इन्द्राज-268 से भी कवर्ड होना मानकर, 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अवधारित किया है तथा इस संबंध में अन्यथा कोई निर्णय उक्त आदेश के विरुद्ध आदिनांक तक नहीं हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में, प्रत्यर्थी प्रत्याक्षेपी व्यवहारी द्वारा उक्त निर्णय में अंकित समान बिक्रीत माल, उक्त विभागीय न्यायिक अवधारण के आलोक में, प्रस्तुत दोनों अपीलें इस बिन्दु तक अस्वीकार किये जाने एवम् दोनों प्रत्याक्षेप स्वीकार किये जाने योग्य हैं। इस संबंध में हमारे समक्ष समग्र रूप से निर्णय हेतु शेष प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यर्थी प्रत्याक्षेपकर्ता व्यवहारी द्वारा कर योग्य 4 प्रतिशत की दर से घोषित बिक्रीत माल यथा :- इपोकसाईड, एमीन फंक्शन कम्पाउण्ड, पोल विनायल क्लोराईड,

लगातार.....6


- (i) Liquids and pastes, including dispersions (emulsions and suspensions) and solutions;
- (ii) Blocks of irregular shape, lumps, powders (including moulding powders), granules, flakes and similar bulk forms.


23. अतः इस संबंध में अपीलार्थी प्रत्याक्षेपी निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित निष्कर्ष न्यायसम्मत नहीं है।

24. उपर्युक्त वर्णित केन्द्रीय आबकारी टैरिफ अधिनियम, 1985 के टैरिफ शीर्षकों क्रमशः- 2910, 2921, 39.04, 39.06, 39.07, 39.09, 39.10, 40.02 व अधिनियम की अनुसूची-IV के भाग-ब में अंकित इन्द्राजात क्रमशः- 89, 100, 146, 147, 148, 151, 152, व 162 के प्रकाश में, आलोच्य अवधियों में प्रत्यर्थी प्रत्याक्षेपकर्ता व्यवहारी द्वारा ऊपर वर्णित वस्तुयें उपर्युक्त इन्द्राजों से आच्छादित है जैसाकि केन्द्रीय आबकारी टैरिफ अधिनियम, 1985 के तहत विवादित वस्तुओं के संबंध में विहित विहित टैरिफ कोड्स व अधिनियम की अनुसूची-IV के भाग-ब के इन्द्राजातों में अंकित वस्तुयें समान प्रकृति की हैं। समानता है माननीय न्यायालयों का भी यह मत रहा है कि ऐसी स्थिति में, केन्द्रीय आबकारी अधिनियम, 1985 के तहत विहित टैरिफ कोड्स के अनुसार अधिनियम के तहत कर दायित्व कायम किया जाना विधिसम्मत है। इसके अतिरिक्त इस संबंध में अधिनियम की अनुसूची-268 के इन्द्राज, जो दिनांक 01.04.2006 से प्रभावी है, अतिमहत्वपूर्ण है। जिसमें यह अंकित किया गया है, ऐसे केमिकल्स जो अनुसूची-IV में अंकित नहीं है या अन्यथा किसी अनुसूची में अंकित नहीं है, 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। इस संबंध में विदित रहे कि उक्त इन्द्राज क्रमांक-268 जरिये अधिसूचना क्रमांक एफ12(15)एफडी/टैक्स/2008-85 दिनांक 25.02.2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) के जरिये भूतलक्षी प्रभाव यानि दिनांक 01.04.2006 से प्रभावी किया गया है एवम् उक्त इन्द्राज 268 को जरिये अधिसूचना क्रमांक एफ 12(22)एफडी/टैक्स/10-83 दिनांक 09.03.2010 से निरसित (delete) किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में, आलोच्य निर्धारण वर्ष 2006-07 व 2007-08 में उक्त इन्द्राज के आलोक में, भी अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तुयें "सिन्थेटिक एडेहेसिव" नहीं होकर "केमिकल्स" होने के कारण, 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं।

माननीय राजस्थान कर बोर्ड की समन्वयपीठ (खण्डपीठ) के उक्त निष्कर्ष से यह पीठ पूर्णतः सहमत है कि विवादित वस्तुएं केमिकल्स होने की स्थिति में वेट अधिनियम के तहत आलोच्य अवधि में 4 प्रतिशत से कर योग्य होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर व ब्याज को अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर विधिसम्मत आदेश पारित किया है, जिसकी पुष्टि की जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।  
निर्णय सुनाया गया।

  
(अमर सिंह) 23-6-14  
सदस्य

  
(जे. आर. लोहिया)  
सदस्य  
23/06/14